



मध्य विश्वविद्यालय बोधगया - 628238

DSB/13

दिनांक 13/09/2013

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष,
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया।
2. सभी प्रधानाचार्य,
अंगीभूत/संबद्ध महाविद्यालय, म.वि.वि., बोधगया।

प्र

Suresh K P
27/11/13

विषय:- स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्र-छात्राओं के नामांकन में आरक्षण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में छात्र/छात्राओं के नामांकन में आरक्षण का पालन निम्नलिखित तरीके से होगा-

1. अनुसूचित जाति- S.C	16% छात्र/छात्राएं स्वीकृत स्थान का
2. अनुसूचित जनजाति- S.T	01% छात्र/छात्राएं स्वीकृत स्थान का
3. अत्यन्त पिछड़ा वर्ग- B.C.T	18% छात्र/छात्राएं स्वीकृत स्थान का
4. पिछड़ा वर्ग- P.C.D	12% छात्र/छात्राएं स्वीकृत स्थान का
5. पिछड़ा वर्ग की महिला-	03% छात्र/छात्राएं स्वीकृत स्थान का
कुल योग- 50%	
6. शारीरिक रूप से विकलांग-	3% छात्र/छात्राएं } प्राथमिकता/सुविधा के आधार पर
7. खेल-कूद में प्रतिभाशाली-	
8. बार्ड कोटा -	
9. अंक में Weightage-	5% छात्र/छात्राएं } सिर्फ पति/पत्नी/बेटा/पुत्री
	5% सिर्फ छात्राओं के लिए।

छात्रों के नामांकन में आरक्षण कुल स्थान का 50% (प्रतिशत) से अधिक नहीं होगा।

दिखाया जाय
13/09/13
(डा. सीताराम सिंह)
अध्यक्ष, छात्र कल्याण
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया